निबंधन सं0 पी0 टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1930 (श0)

(सं0 पटना 426) पटना, सोमवार, 11 अगस्त 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2008

सं0 एल0जी0-1-19/2008/लेज-140--बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2008]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008

प्रस्तावना- राज्य सरकार और/ अथवा ट्रस्ट अथवा सोसाईटी द्वारा प्रचलित और नवीन (आधुनिक) विद्याओं में व्यावसायिक शिक्षा यथा अभियांत्रिकी और तकनीकी जिसमें उदाहरण स्वरूप सूचना प्रावैधिकी, नैनो टेक्नोलॉजी और जैव प्रावैधिकी, प्रबंधन, औषधि, स्वास्थ्य, प्रावैधिकी, लोक स्वास्थ्य, औषधि विज्ञान, चक्षु विज्ञान (प्रकाश विज्ञान), नर्सिंग शिक्षा, विधि इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित संस्थानों को संचालित एवं मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से तथा शिक्षण में उत्कृष्टता, खोज (अनुसंधान) की संप्राप्ति एवं इन क्षेत्रों में अभिवर्द्धन और अन्य सम्बद्ध एवं आवर्त्तक विषयों का एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के निमित्त भारत गणराज्य के उनसठवें वष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ** ।-(1) यह अधिनियम आर्य भट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएँ** ।- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(1) ''शैक्षणिक परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद् ;

(2) ''शैक्षणिक स्टाफ'' से अभिप्रेत है स्टाफ की ऐसी कोटि जो परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ होना पदाविहित की गयी है;

(3) ''संबद्धता'' से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संबद्धता;

(4) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 केन्द्रीय अधिनियम सं0 52) के अधीन गठित परिषद्;

(5) ''संबद्ध संस्था'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध उच्चतर शिक्षण संस्था;

(6) ''स्वायत्त महाविद्यालय या संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय या संस्थान जो सुसंगत परिनियम (स्टेच्यूट्स) में विहित प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त घोषित किया गया हो;

(7) ''कुलाधिपति'' एवं ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का क्रमशः कुलाधिपति और कुलपति;

(8) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित या संचालित कोई संस्था;

(9) ''वास्तु परिषद्'' से अभिप्रेत है वास्तु अधिनियम 1972 (1972 का अधिनियम 20) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(10) ''सभा से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा;

(11) ''सी0एस0आई0आर0'' से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार की एक एजेंसी विज्ञान एवं औद्योगिक शोध परिषद्, नई दिल्ली;

(12) ''भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्'' से अभिप्रेत है दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (अधिनियम 16, 1948) एवं संशोधित अधिनियम 1993 की धारा-3 के अधीन गठित दंत चिकित्सा परिषद्;

(13) ''विभाग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शिक्षण, विद्या एवं शोध विभाग;

(14) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है एक संस्था का प्रधान;

(15) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(16) ''अभियंत्रण एवं प्रावैधिकी'' से अभिप्रेत है अखिल भारतीय प्रावैधिकी परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम;

(17) ''कार्यकारिणी परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यकारिणी परिषद्;

(18) ''शासी निकाय'' से किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में, अभिप्रेत है यथा स्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यकलापों के प्रबंधन का प्रभार प्राप्त और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त शासी निकाय या कोई अन्य निकाय ;

(19) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(20) ''कक्ष'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित, अनुरक्षित, मान्यता प्राप्त किसी संस्था के छात्रों के लिए आवासीय अथवा सामूहिक जीवन की इकाई (यूनिट) ;

(21) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संस्था अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उसका विशेषाधिकार मिला कोई महाविद्यालय ;

(22) ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्'' से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अधिनियम 1956 (अधिनियम 1956 का 102) तथा संशोधित अधिनियम, 1993 द्वारा गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्;

(23) ''कदाचार'' स अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विहित कोइ कदाचार;

(24) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(25) ''भारतीय भेषजी परिषद्'' से अभिप्रेत है भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय भेषजी परिषद्;

(26) ''प्रधानाचार्य'' से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्रधान और इसमें जहाँ प्रधानाचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और यथा स्थिति प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य;

(27) ''व्यावसायिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है ऐसे कार्य से संबंधित शिक्षा जो नौकरी पाने से जुड़ी हो, जिसमें विशेष प्रशिक्षण या कौशल को आवयश्कता हो और इसमें यांत्रिकी, तकनीकी, प्रबंधन, सूचना प्रावैधिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, विधि, शिक्षण, इत्यादि सम्मिलित है;

(28) ''मान्यता प्राप्त शिक्षक'' से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त संस्था में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये हैं;

(29) ''स्कूल'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या शाखा;

(30) ''विद्या शाखा'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या शाखा;

(31) ''स्ववित्त पोषित संस्था'' से अभिप्रेत है वैसी संस्थाएँ जो किसी न्यास या सोसाईटी द्वारा स्थापित हों और स्ववित्तपोषित हों;

(32) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' एवं ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमावली;

(33) ''तकनीकी कर्मचारी'' से अभिप्रेत ऐसे कर्मचारी से है जो विश्वविद्यालय के तकनीकी संवर्ग के हों;

(34) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ;

(35) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (अधिनियम-3, 1956) के अधीन गठित आयोग;

(36) ''विश्वविद्यालय शिक्षक'' से अभिप्रेत है प्राध्यापक, रीडर, सह प्राध्यापक, लेक्चरर, सहायक प्राध्यापक और ऐस अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश देने या शोध संचालन के लिए नियुक्त किये गए हों और जो परिनियम के द्वारा शिक्षक नामित किये गये हों।

3. निगमन ।- (1) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायगा जिसमें कुलाधिपति और कुलपति सभा के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् और ऐसे अन्य व्यक्ति जो एतद्पश्चात् ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में तब तक के लिए नियुक्त रहेंगे जब तक वे ऐसा पद धारित करेंगे या सदस्यता बनी रहे।

(2) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने अथवा अपने विरूद्ध वाद लाये जाने की शक्ति के साथ शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर रखने वाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, पटना, बिहार में होगा।

4. **अधिकारिता ।**-(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकार द्वारा स्थापित अथवा राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के घटक अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले सभी महाविद्यालय एवं संस्थाएँ उस तिथि से विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की पात्रता रखेंगे जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और उस रीति से जो इस निमित्त बनाये गए परिनियम या अध्यादेश अथवा बनायी गयी विनियमावली द्वारा विहित की जाय।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्निष्ट किसी बात के होने पर भी, प्रोफेशनल शिक्षा देने वाले, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं की उस विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायगी, जिससे ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थाएँ संबद्ध की गयी हों और ऐसे महाविद्यालय और संस्थाएँ उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।

(4) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिससे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, साधक अथवा आनुषांगिक विचार करे एवं सम्बद्धता प्रदान करे।

(5) किसी न्यास अथवा सोसाइटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने हेतु स्वयं स्वतंत्र होगी। विश्वविद्यालय सशर्त्त संबद्धता देन पर परिनियम, अध्यादेश अथवा इस संबंध में बनायी गयी विनियमावली में दी गयी शर्त्तों के अधीन विचार कर सकेगा और दे सकेगा।

5. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।** - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

(1) आधुनिक संसार और समाज की बदलती आवश्यकताओं के आलोक में व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना;

(2) विज्ञान, अनुप्रयुक्त (अप्लायड) विज्ञान, कला और समाज विज्ञान सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों में शिक्षण, शोध और प्रचार-प्रसार को सुकर बनाना एवं प्रोत्साहित करना;

(3) शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं तथा विधि तंत्रों में गुणात्मक संवर्द्धन को सुकर बनाना एवं सुनिश्चित करना;

(4) ज्ञान के क्षेत्र में समकालीन तथा सीमांत क्षेत्रों में गुणात्मक शोध को सुकर बनाना तथा उसे सुनिश्चित करना;

(5) जीवन पर्यन्त सीखने की प्रक्रियाओं को सुगठित करने की आवश्यकताओं को सुकर बनाना;

(6) विश्वविद्यालय, उसकी संस्थाओं से उत्पन्न ज्ञान और शोध के खोज का सम्पूर्ण संसार में प्रचार-प्रसार करना;

(7) सभी क्षेत्रों यथा कृषि, विनिर्माण तथा सेवा जैसे उद्योगों तथा सेक्टरों में अन्य हस्तियों के साथ भागीदारी स्थापित करना तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संबंध विकसित करना;

(8) विशिष्टीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान केन्द्रों का सृजन और संवर्द्धन को सुकर बनाना और लोगों के बीच इलेक्ट्रोनिकली आवश्यकता आधारित सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना;

(9) शिक्षकों के लिए उनसे संबंधित तथा अन्तरानुशासनिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए एजेंसी के रूप में सेवा करना तथा आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी करना।

6. **विश्वविद्यालय की शक्तियॉं एवं कृत्य ।** - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियॉं एवं कृत्य होंगे-

(1) ज्ञान के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध को विकसित एवं समुन्नत करने हेतु प्रावधान करना;

(2) शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों का सृजन करना;

(3) उन शर्त्तों के अध्यधीन जो विश्वविद्यालय विनिश्चित करे, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट प्रदत्त करना और परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा जॉंच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि देना और किसी अच्छे एवं उपयुक्त कारण से इस तरह के किसी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियॉं वापस लेना;

(4) परिनियम द्वारा विहित रीति से मानक डिग्री या अन्य उपाधि देना;

(5) पुरस्कार, मेडल, शोध छात्रवृत्ति, प्रदर्शनी एवं फेलोशीप संस्थित करना;

(6) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद प्रिंसिपलशीप, प्रोफेसरशीप, रीडरशीप एवं लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण तथा शैक्षणिक हस्तियॉं संस्थित करना तथा एसे आचार्यपद, प्रिंसिपलशीप, रीडरशीप, लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण एवं शैक्षणिक पदों पर हस्तियों को नियुक्त करना;

(7) व्यक्तियों को प्रोफेसर, रीडर-सह-प्राध्यापक या लेक्चरर/ सहायक प्राध्यापक के रूप में या अन्य को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में मान्यता देना;

(8) विजिटिंग प्रोफेसर, एमिरिटस प्रोफेसर, सलाहकार, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर अथवा अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्रगति में योगदान करें;

(9) प्रशासनिक तथा समर्थक सेवाओं के लिए हस्तियों को नियुक्त करना;

(10) स्टाफ की सभी कोटियों की सेवाओं की उनके आचार संहिता सहित, शर्त्तों को अधिकथित करना;

(11) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अवस्थित महाविद्यालयों या संस्थाओं को अपना विशेषाधिकार देना तथा अपनी संबद्धता स्वीकृत करना तथा परिनियम या अध्यादेश या विनियमावलियों द्वारा यथा विहित शर्त्तों के अनुसार पूर्ण संबद्धता सहित सभी विशेषाधिकारों या उनमें से किसी को वापस लेना;

(12) भारत या विदेश में उच्चतर शिक्षण के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकार अथवा संस्था या शोध निकायों से इस प्रयोजनार्थ जो विश्वविद्यालय विनिश्चित करे यथा विहित रीति से सहकार करना, सहयोग तथा सहयुक्त करना;

(13) स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के छात्र पर प्राभार्य फीस एवं अन्य चार्जों को विनियमित करना;

(14) परीक्षा, मूल्यांकन अथवा जॉच की किसी अन्य पद्धति सहित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं में नामांकन क मानकों का विनिश्चय करना;

(15) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉस्टल, हॉल तथा आवास की स्थापना करना तथा मान्यता देना, उनके स्वास्थ्य और सामाज कल्याण की समुन्नति के लिए व्यवस्था करना तथा संबद्ध महाविद्यालयों एवं विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं का मार्गदर्शन करना;

(16) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति, मेडल तथा प्राइजों को संस्थित करना तथा देना;

(17) संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रबंधन का आचार संहिता बनाना;

(18) छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवृत्त कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक अध्युपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(19) उपकृति, चंदा और अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास एवं दातव्य संपत्तियों सहित, विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ स्थावर एवं जंगम संपत्ति को अर्जित करना, धारित करना, प्रबंधन करना तथा व्ययनित करना :

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई स्थावर संपत्ति व्ययनित नहीं की जायगी।

(20) कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति से उधार लेना या देना, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति से उधार देना एवं प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन उधार लेना;

(21) अध्ययन के विषय, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों, शिक्षा कौशल तथा राज्य में तकनीकी मानव शक्ति के स्तरों के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों आधारों पर आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा इन आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए आवश्यक प्रोग्राम आरम्भ करना;

(22) विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र का विकास करना;

(23) विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी ऐसे अन्य कार्य तथा कुछ भी करना जो आवश्यक, आनुषांगिक तथा सहायक हो;

(24) प्राईज, मेडल, शोध, अध्ययन वृत्ति, प्रदर्शनी तथा फेलोशीप संस्थित करना;

(25) शोध, रूपांकन (डिजाईन) तथा सामाजिक आवश्यकताओं से सुसंगतता रखने वाले विकास कार्यकलापों और राज्य के विकास के कार्यक्रमों को समुन्नत करना;

(26) पूरक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु उद्योगों और सरकार की सहकारिता को सूचीबद्ध करने हेतु उपायां को आरम्भ करना;

(27) ज्ञान, प्रशिक्षण देने तथा पाठ्यपुस्तक एवं अनुदेशात्मक सामग्रियों की तैयारी करने में लगातार प्रयोग को सुकर बनाना;

(28) लगातार मूल्यांकन एवं पुन: अभिसंस्करण एवं शैक्षणिक उपायों के पुनरूद्धार के प्रगतिशील भूमिका की व्यवस्था करना;

(29) अपने शिक्षकों एवं छात्रों के बीच उद्योग-उपक्रमी योग्यता को अग्रसर करना;

(30) विज्ञान, अभियंत्रण एवं प्रावैधिकी की अपेक्षाओं तथा उस व्यवसाय में अवसर तथा उसके दायित्वों और समाज के प्रति सेवाओं के संबंध में जनता को शिक्षा देना।

7. **लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना ।** - विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनकी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर कोई जॉच, चाहे उसका धार्मिक विश्वास अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसको हकदार बनाने हेतु अथवा उसमें कोई पद धारित करने के लिए अथवा विश्वविद्यालय के छात्र अथवा स्नातक के रूप में नामांकित होने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु अंगिकार या अधिरोपित किया जाय।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि महिला, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को रोका गया है।

8. **कुलाधिपति ।** - (1) बिहार के राज्यपाल अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालयों या संस्था तथा उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जॉच पड़ताल करवाना।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं के शासी निकाय को, उनका निरीक्षण या जॉच पड़ताल करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थिति, विश्वविद्यालय या शासी निकाय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन, जो आवश्यक विचार किया जाय, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, देने का अधिकार होगा।

(4) विश्वविद्यालय या शासी निकाय द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचारण के बाद, यदि कोई हो, कुलाधिपति इस धारा की उपधारा (2) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जॉच पड़ताल करवा सकेंगे।

(5) जहॉ निरीक्षण या जॉच-पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी गयी हो वहॉ विश्वविद्यालय या शासी निकाय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जॉच पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) कुलाधिपति इस धारा की उपधारा(2) में यथानिदेशित उस निरीक्षण या जॉच-पड़ताल के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, जो उसपर कार्रवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय को संसूचित कर देंगे।

(7) कुलाधिपति, यदि निरीक्षण या जॉच-पड़ताल, विश्वविद्यालय द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण, जॉच-पड़ताल की गयी हो तो उस पर अपने विचार, उस निरीक्षण या जॉच-पड़ताल के परिणाम के बारे में कुलपति के माध्यम से शासी निकाय को संबोधित करेंगे तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसी चाहें।

(8) यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् अथवा शासी निकाय, कुलपति के माध्यम से, उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, जिसका उस निरीक्षण अथवा जॉच-पड़ताल के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेंगे।

(9) जहॉ, यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के संतोष के अनुरूप कार्रवाई नहीं करे वहॉ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् अथवा शासी निकाय उन निदेशों का अनुपालन करेगी/करेगा।

(10) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातील कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के अनुरूप न हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाय और यदि युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर कारण दर्शाया गया हो तो वे उस पर विचार करेंगे।

(11) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियॉ प्राप्त होगी जो परिनियम द्वारा विहित की गयी हों।

9. **विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।** - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

(1) कुलपति,

(2) डीन,

(3) रजिस्टार,

(4) वित्त पदाधिकारी,

(5) परीक्षा नियंत्रक,

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष,

(7) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाय।

10. **कुलपति ।** - (1) कुलपति अकादमिक एवं ख्यातिप्राप्त विद्वान होंगे जिन्हें उच्चतर शिक्षा के प्रबंधन का अनुभव हो।

(2) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा इस धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अन्यून व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनल से नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु कुलाधिपति उस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।

(3) इस धारा की उपधारा (2) में निर्देशित समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे :
परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा :
परन्तु और कि पैनल उन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करेंगे अथवा विज्ञान, चिकित्सा/दंत विज्ञान, प्रावैधिकी, प्रबंधन या किसी अन्य सुसंगत क्षेत्र में कुछ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अनुशंसित किये जायेंगे।

(4) कुलपति इस धारा की उपधारा (3) के प्रवृत होने तक सरकार द्वारा नियुक्त किये जायगे।

(5) कुलपति अपना पदधारण करने की तिथि से तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किये जाएंगे और अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परन्तु कुलाधिपति कार्य की समाप्ति के बाद, कुलपति से उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशत्तं वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पद-त्याग, अथवा अन्यथा खाली हो जाय अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कत्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाय तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का अनुपालन तब तक करने के लिए पदानिहित करेंगे जब तक, यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कत्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

11. **कुलपति की शक्तियाँ, कत्तंव्य एवं कृत्य ।** -(1) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।

(2) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा/के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार पर प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उनके द्वारा उस विषय में उस प्राधिकार पर की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे :

परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायगा और किसी भी दशा में पद-सृजन और उत्क्रमण तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में नहीं :

परन्तु और कि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो उस विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेंगे जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा :

परन्तु और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे, जिस तिथि से जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।

(3) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय का पुनरीक्षण उस विनिश्चय की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कहेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय का पुनरीक्षण पूर्णत: या अंशत: करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाय तो वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित कर दिया जायगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कत्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

(5) कुलपति शासी निकाय, वित्त समिति, एकेडमिक काउन्सिल एवं प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

12. **कुलपति को पद से हटाया जाना ।** - (1) ऐसी जॉच-पड़ताल के बाद जैसा आवश्यक विचार किया जाय, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति -

(क) इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन उन पर अधिरोपित किसी कत्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकल रीति से कार्य किये हैं, अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्याग पत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक प्रस्तावित विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, एक सूचना तामिल न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।

(3) इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को/ से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पदत्याग कर दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायगा।

13. **डीन ।** - डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कत्तव्यों का अनुपालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गए हों।

14. **रजिस्ट्रार ।** - (1) रजिस्ट्रार उस रीति से तथा उन निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के निमित्त एकरारनामा करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों का अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कत्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

15. **वित्त पदाधिकारी ।** - वित्त पदाधिकारी, उस रीति से और उन नियमों एवं सेवा शर्त्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कत्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

16. **अन्य पदाधिकारी ।** - विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियॉ तथा कत्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

17. **विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।** - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :-

(क) सभा
(ख) कार्यकारिणी परिषद्
(ग) शैक्षणिक परिषद्
(घ) अध्ययन बोर्ड
(ड.) योजना बोर्ड
(च) संबद्धता बोर्ड
(छ) विद्या शाखा
(ज) वित्त समिति और
(झ) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

18. **सभा ।**-(1) सभा का गठन और इसके सदस्यों के कार्यकाल परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक वर्ष अगस्त / सितम्बर माह में सभा की उतनी बैठकें आवश्यक रूप से होंगी, जितने दिनों के लिए कार्यकारिणी परिषद् आवश्यक समझे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथा -

(क) विश्वविद्यालय के बोर्ड की नोतियों एवं कार्यक्रमों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देना ।

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा और ऐसे लेखाओं पर अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संकल्प पारित करना।

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय पर, जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

19. **कार्यकारिणी परिषद् ।**-(1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारिणी निकाय होगी।

(2) कार्यकारिणी परिषद् का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसकी शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किए जायेंगे।

20. **शैक्षणिक परिषद् ।** - (1) शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) शैक्षणिक परिषद् का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

21. **अध्ययन बोर्ड ।** - अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

22. **योजना बोर्ड ।** - (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास के लिए तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाओं की तैयारी के लिए प्रधान निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

23. **संबद्धता बोर्ड ।** - (1) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को संबद्धता देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

24. **विद्या शाखा ।** - (1) उतनी संख्या में विद्या शाखाएँ होंगी, जितनी संख्या विश्वविद्यालय द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय।

(2) विद्या शाखा का गठन, शक्तियाँ और कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

25. **वित्त समिति ।** - वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

26. **अन्य प्राधिकार ।** - अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जाये और परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

27. **परिनियम बनाने की शक्ति ।** - इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम का प्रावधान किया जा सकेगा :- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों का गठन जो समय-समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाय तथा उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य।

(2) विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कत्तव्य तथा उनकी सेवा के नियम एवं सेवाशत्त;

(4) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक स्टाफ अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी परिलब्धियाँ;

(5) एक संयुक्त योजना उपक्रम हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा के नियम एवं सेवाशत्तं तथा उनकी परिलब्धियाँ;

(6) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना;

(7) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत;

(8) कर्मचारियों अथवा छात्रों तथा विश्वविद्यालयों के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(9) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विरूद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया;

(10) शर्त्तं जिनके अधीन महाविद्यालयां और संस्थाओं को विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार मिल सकेगा तथा शर्त्तं जिनके अधीन विशेषाधिकार वापस लिया जा सकेगा;

(11) विशेषाधिकार मिले महाविद्यालयों और संस्थाओं के शासी निकाय का गठन तथा उन महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(12) स्वायत्तता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय संस्था के रूप में प्रयोग कर सकेंगे;

(13) मानक डिग्रियाँ देना;

(14) डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य उपाधियों की वापसी;

(15) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मेडल तथा इनाम एवं अन्य प्रोत्साहन;

(16) विश्वविद्यालय कर्मचारियों तथा छात्रों और महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के बीच अनुशासन बनाए रखने;

(17) आचार्य पदों (चेयर्स), विद्या शाखाओं, विभागों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना;

(18) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और;

(19) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

28. **परिनियम कैसे बनाया जायेगा ।** - (1) प्रथम परिनियम सभा की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायगा।

(2) कार्यकारिणी परिषद्, समय-समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा इस धारा की उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगा:

परन्तु कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम नहीं बनायेगा, उसे संशोधित अथवा निरसित तब तक नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचारण न कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में जोड़ा जाना अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी जो उस पर सहमति दे सकेंगे या सहमति रोक रखेंगे और उसे विचारण के लिए कार्यकारिणी समिति को भेज देंगे।

(4) कोई नया परिनियम अथवा विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला परिनियम की तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति की सहमति न मिल जाय।

परन्तु कुलाधिपति निर्देशन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर अपना विनिश्चिय सूचित नहीं करते हैं तो समझा जायगा कि कुलाधिपति ने परिनियम में अपनी सहमति दे दी है।

29. **अध्यादेश बनाने की शक्ति ।** - इस अधिनियम, परिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेगा, यथा :-

(क) विश्वविद्यालय तथा उससे विशेषाधिकार प्राप्त एवं संचालित अथवा नियंत्रित संस्थानों में छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन;

(ख) सभी डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) अनुदेशों एवं परीक्षाओं का माध्यम;

(घ) डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, उसके लिए अर्हताएँ और उसे देने और प्राप्त करने से संबंधित साधन;

(ड.) विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम, परीक्षाओं में बैठने, डिग्रियों, डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित होने वाली फीस;

(च) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मेडल एवं इनाम संस्थित किया जाना तथा उन्हें देने की शत्त;

(छ) पद के कार्यकाल एवं नियुक्ति की रीति, परीक्षक निकायों, परीक्षकों तथा मांडरेटरों के कत्तव्यों को शामिल करते हुए परीक्षाओं का संचालन;

(ज) छात्रों के आवास की शत्तं तथा उनका सामान्य अनुशासन;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंधन;

(ञ) केन्द्रों, विश्वविद्यालय संस्थानों, अध्ययन-बोर्ड, विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं समितियों की स्थापना;

(ट) किसी अन्य निकायों का, जो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक विचार किया जाय, सृजन, गठन एवं कृत्य;

(ठ) विश्वविद्यालय, संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों, विद्वत निकायों अथवा संघों सहित साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति;

(ड) कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र स्थापित करने;

(ढ) कदाचार की कोटि, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अधीन कार्रवाई की जा सके;

(ण) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियम द्वारा या, के अधीन अध्यादेश द्वारा उपबन्ध किये गये हों अथवा किये जायें।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बनाया जायेगा और उस प्रकार बनाया गया अध्यादेश किसी भी समय, उस रीति से, जो परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किया जाय, सरकार द्वारा संशोधित, निरसित किया जा सकेगा अथवा उसमें जोड़ा जा सकेगा।

30. **विनियम ।** - विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के अनुरूप अपने स्वयं के कारबार के संचालन के लिए विहित रीति से और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों द्वारा उपबंधित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए जो परिनियम अथवा अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें विनियमावली बना सकेगा।

31. **कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशन तथा नियुक्तियाँ ।** - कुलाधिपति द्वारा किये जाने वाले सभी नाम-निर्देशन एवं की जाने वाली नियुक्तियों का पैनल सरकार द्वारा अग्रसारित किये जायेंगे।

32. **वार्षिक प्रतिवेदन ।** - (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा जिसमें अन्य विषय एवं विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके बाद सभा को समर्पित किये जायेंगे और सभा प्रत्येक वर्ष अगस्त/सितम्बर माह में अनिवार्य रूप से होने वाली अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित करेगी।

(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन यथा तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी समर्पित करेगी जो, यथाशक्य शीघ्र, विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष उसे रखवायेगी।

33. **निधि ।** - (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :-

(क) फीस, अनुदान, दान एवं गिफ्ट, यदि कोई हो;

(ख) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्था, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा ऐसे ही प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ग) विन्यास एवं अन्य प्राप्तियाँ।

(2) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(3) विश्वविद्यालय की निधि और सभी धनों का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं संवर्द्धन के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

34. लेखा एवं लेखा परीक्षा । –

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं अधिशेष पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेशन के अधीन तैयार किया जायगा और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार अथवा कम-से-कम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे इस निमित्त अधिकृत किया जाय, लेखा परीक्षा कराया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की अवधारणाओं के साथ, यदि कोई हो, सरकार के माध्यम से सभा और कुलाधिपति को समर्पित की जायगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई अवधारणा सभा की जानकारी में लायी जायेगी तथा सभा की अवधारणा यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचारण किये जाने के बाद, सरकार के माध्यम से कुलाधिपति को समर्पित की जायगो।

(4) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को समर्पित की गयी हो, सरकार को भी समर्पित की जायगी जिसे यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

35. रिटर्न आदि प्रेषित किया जाना । – विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी सरकार को प्रेषित करेगा जिनकी सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

36. कर्मचारियों की सेवाशर्तें । –

(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, एक लिखित संविदा के अधीन, नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय में रखा जायगा और उसकी एक प्रति संबधित कर्मचारी को दी जायगी।

(2) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के बीच संविदा से उत्पन्न किसी विवाद, कर्मचारियों के अनुरोध पर, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य को मिलाकर गठित माध्यस्थम् न्यायाधिकरण को निर्देशित किया जायगा।

(3) न्यायाधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी न्यायालय या किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत विषयों के संबंध में कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अभिप्रेत के अंतर्गत इस धारा के अनुसार माध्यस्थम् हेतु प्रेषित किया जाना समझा जायगा।

(5) न्यायाधिकरण के कार्य को विनियमित करने वाली पक्रिया परिनियम द्वारा विहित की जायगी।

37. अपील का अधिकार । – विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इसके विशेषाधिकार प्राप्त संस्था या छात्र को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या

प्राधिकार के विनिश्चय के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरूद्ध अपील की गयी हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगे।

38. **भविष्य तथा पेंशन निधि ।** – विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान परिनियम द्वारा, यथाविहित रीति से यथाविहित शर्त्तों के अधीन रहते हुए करेगा।

39. **विश्वविद्यालय प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद ।** – यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या नहीं अथवा सदस्य होने का हकदार है या नही तो वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित कर दिया जायगा जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

40. **आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।** – विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरो जायेंगी जो सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो और जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति इस अवधि के अवशिष्ट के लिए, जिस व्यक्ति के स्थान पर वह सदस्य होगा, उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा।

41. **विश्वविद्यालय प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाही का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।** – विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई कार्रवाई या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच मात्र किसी रिक्ति या रिक्तियों की विधमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

42. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।** – विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरूद्ध इस अधिनियम, परिनियम, विनियम अथवा अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुशरण में सद्भावपूर्वक किये गए या सद्भावपूर्वक किये जाने के आशय से किये गए कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक् कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी।

43. **विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढ़ंग ।** – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा यदि अभिप्रमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि की कोई प्रति प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायगी और विषयों और उसमें संव्यवहार, जहाँ उसका मूल, यदि उपस्थापित किया जाय वहाँ साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये हों, तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जायेंगे।

44. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।** – इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरम्भ से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायगा :

परन्तु और कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा।

45. **संक्रमणकालीन उपबंध ।** - इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(1) प्रथम कुलपति, प्रथम रजिस्ट्रार एवं प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और प्रत्येक उक्त पदाधिकारी चार वर्षों के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे।

(2) प्रथम सभा एवं प्रथम कार्यकारिणी परिषद् अधिकतम ग्यारह सदस्यीय होगा जिनका नाम सरकार द्वारा निर्दिष्ट होगा और चार वर्षों के कार्यकाल के लिए अपना पद धारित करेंगे।

परन्तु उपर्युक्त पदों एवं प्राधिकारों में यदि कोई रिक्ति होती है तो वह सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और उस प्रकार नियुक्त या नाम-निदिष्ट व्यक्ति उस पदाधिकारी या सदस्य के रूप में पदधारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट हुआ है, पद धारण करता यदि वह रिक्ति नहीं होती।

46. **परिनियम, विनियमावली तथा अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशन तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना ।** - (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, विनियम या अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश, बनाये जाने के बाद, यथाशक्य शीघ्र, विधानमंडल के सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो, और यदि, उपर्युक्त अनुवर्ती सत्रों या आगामी सत्र के ठीक बाद के सत्र की समाप्ति के पूर्व, रखे जायेंगे और यदि दोनों सदन परिनियम, अध्यादेश या विनियमावली में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश का प्रभाव केवल उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा उसका प्रभाव नहीं होगा। फिर भी किसी ऐसे उपरांतरण या संशोधन, परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश के अधीन पूर्व में किये गये किसी बात की विद्यमानता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

11 अगस्त 2008

सं0 एल0जी0-1-19/2008/लेज-141 - बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 7th August, 2008 को अनुमत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।